उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या : 34–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 18–108–पी / 1990(Vol-II), दिनांक 20 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसकी वितरण कम्पनियों, केस्को सहित के पेंशनरो/ पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01 जुलाई, 2016, 01 जनवरी, 2017 एवं 01 जुलाई, 2017 से बढ़ी हुई दर से महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

उ0प्र0 शासन के आदेश सं0–38 / 2016–सा–03–921 / दस / 2016 / 308 / 2016 दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 द्वारा राज्य सरकार के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को वेतन समिति, 2016 की संस्तुतियों के क्रम में दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित पेंशन / पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01 जुलाई, 2016 से 02 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी थी तदुपरान्त शासनादेश सं0–20–2017 / सा–3–365 / दस–2017–301 / 2000टी0सी0 लखनऊ दिनांक 14 जुलाई, 2017 के माध्यम से दिनांक 01 जनवरी, 2017 से महंगाई राहत की 02 प्रतिशत की दर से एक और किश्त की स्वीकृति प्रदान कर कुल 04 प्रतिशत की दर से तथा शासनादेश सं0–37 / 2017 / सा–3–774 / दस–2017–301 / 2000 टी0सी0 लखनऊ दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 के द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2017 से महंगाई राहत की एक और किश्त 01 प्रतिशत की दर से दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुये 01 जुलाई, 2017 से कुल 05 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत की अनुमन्यता प्रदान की गई है।

2. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों, केस्को सहित के समस्त पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित पेंशन / पारिवारिक पेंशन अनुमन्य कराये जाने के आदेश इस सम्बन्ध में राजकीय पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों हेतु जारी शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के आदेश सं0–1320–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 2017–60–पी / 98(टी0सी0–1),दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 के माध्यम से जारी कर दिया गया है, जिसके दृष्टिगत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों, केस्को सहित के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित पेंशन / पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत की दरें उपर्युक्त शासनादेशों की अनुरूपता में निम्नवत् अनुमन्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

क्रम सं0	महंगाई राहत अनुमन्यता की तिथि	महंगाई राहत की देय किश्त की दर	महंगाई राहत की देय कुल दर
1	01 जुलाई, 2016	02 प्रतिशत	02 प्रतिशत
2	01 जनवरी, 2017	02 प्रतिशत	04 प्रतिशत
3	01 जुलाई, 2017	01 प्रतिशत	05 प्रतिशत

3. महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे नज़रअंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में लिया जायेगा।

क्रमशः....2

Arti Letter P.Section

4. दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित अनन्तिम पेंशन पर भी उपर्युक्तानुसार महंगाई राहत अनुमन्य होगी।

5. पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1054–डब्लू0सी/राविप–औ0सं0–19–14 (23) एफ–85, दिनांक 16.06.1998 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर उक्त अतिरिक्त महंगाई राहत के भुगतान के लिये उप महाप्रबन्धक (लेखा)/उपमुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/कोषागारों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा यथा स्थिति के अनुसार इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान उपरोक्त बिन्दु–1 से –4 के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

6. महंगाई राहत की स्वीकृति हेतु पूर्व निर्गत आदेशों में उल्लिखित अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

अध्यक्ष

संख्या : 34 –पें0एवंआर0–28/पाकालि/18/तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, कक्ष संख्या–148, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. समस्त जिलाकोषाधिकारी, उ0प्र0।
5. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/केस्को–कानपुर/ट्रान्सको, लखनऊ।
6. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियॉं।
8. पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)/विधि अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियॉं।
11. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
12. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी(पेंशन), लखनऊ को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
13. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. प्रबन्धक (सी0पी0पी0सी0), सेन्ट्रलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सेन्टर पंजाब नेशनल बैंक हलवासिया मार्केट, लखनऊ।
15. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
16. कट फाईल।

आज्ञा से,

(सै0मो0ज़ाकिर अली काज़मी)
संयुक्त सचिव(अरा0)

Arti Letter P.Section